THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

सत्याग्रह से स्वराज तक दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के माध्यम से महात्मा गांधी और औपनिवेशिक भारत में श्रमिक चेतना का विकास

शोधकर्ता: सुनिक्षा
suneksha90@gmail.com
पर्यवेक्षक: प्रो. यशपाल सिंह
इतिहास विभाग
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय , अस्थल बोहर
रोहतक, हरियाणा

प्रस्तावना

यह शोधपत्र महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास (1893-1914) के दौरान प्राप्त अनुभवों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद और श्रमिक चेतना के विकास का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी का संघर्ष वहाँ केवल नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध नहीं था, बल्कि श्रमिक वर्ग के नैतिक उत्थान और सामाजिक सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए भी था। उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक मुक्ति को श्रमिक अधिकारों से जोड़ा और ''सत्याग्रह'' को केवल विरोध का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और नैतिक अनुशासन की साधना के रूप में प्रस्तुत किया। गांधी द्वारा शुरू की गई ट्रांसवाल रेजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध की मुहिम, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना, और मजदूर संगठनों में महिलाओं की भागीदारी ने एक समावेशी चेतना का बीजारोपण किया। यह शोध बताता है कि दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक प्रयोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई वैचारिक दिशा दी और श्रमिक वर्ग को केवल 'उपभोक्ता' नहीं बल्कि 'संघर्षकर्ता' के रूप में पुनर्परिभाषित किया।

मुख्य शब्दबिंदु: सत्याग्रह, श्रमिक चेतना, औपनिवेशिक , नैतिक संघर्ष, टॉलस्टॉय फार्म, ट्रांसवाल रेजिस्ट्रेशन एक्ट, मजदूर आंदोलन, राष्ट्रवाद।

परिचय

''सत्याग्रह से स्वराज तक'' की गांधीजी की यात्रा केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और श्रमिक चेतना के विकास की प्रक्रिया भी थी। गांधीजी ने अपने जीवन का एक लंबा समय (1893 से 1914) दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। यहीं उन्होंने पहली बार अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन, सत्याग्रह का प्रयोग किया। यह संघर्ष न केवल मजदूरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाला था, बल्कि उन्हें आत्मगौरव, नैतिकता और संगठन की शक्ति का भी अनुभव कराने वाला था। 1906 में लागू एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में गांधीजी द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह आंदोलन श्रमिक वर्ग को संगठित करने का नैतिक मार्ग बना। इस कानून में भारतीयों को जबरदस्ती पहचान पत्र हेतु पंजीकरण कराना था, जिसे गांधीजी ने आत्मबल और सच्चाई के बल पर चुनौती दी। यह संघर्ष केवल अधिकारों का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और न्याय की भी मांग थी।

फीनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म जैसे समुदायों में श्रम को नैतिक साधना का रूप दिया गया, जहाँ स्वावलंबन, समानता और शारीरिक श्रम को सर्वोच्च स्थान मिला। गांधीजी ने यह बताया कि श्रमिकों

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

की शक्ति केवल उत्पादकता में नहीं, बल्कि उनके नैतिक बल और सामूहिक चेतना में है। भारत लौटने के बाद गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में अर्जित अनुभवों का सीधा उपयोग श्रमिक आंदोलनों में किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918) में उन्होंने पूंजीपति और श्रमिकों के बीच 'ट्रस्टीशिप' की नीति का प्रयोग किया, जिससे संघर्ष को नैतिक संवाद में बदला जा सका। इससे भारत में श्रमिक आंदोलनों को एक वैकल्पिक दिशा मिली, जिसमें हिंसा की जगह अहिंसा और वर्ग संघर्ष की जगह सहयोग को प्राथमिकता दी गई। गांधीजी का स्वराज का विचार केवल राजनीतिक स्वशासन नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता, श्रम-सम्मान और विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था पर आधारित था। चरखा इस विचारधारा का प्रतीक बन गया- एक ऐसा साधन जो श्रमिकों को सम्मान और राष्ट्र से जोड़ता था। उनकी दृष्टि में श्रम केवल आजीविका नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण का माध्यम था। यही कारण है कि श्रमिक चेतना को उन्होंने केवल मजदूरी की मांग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न हिस्सा बना दिया। गांधीजी के इस दृष्टिकोण ने भारतीय श्रम आंदोलन को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक आधार प्रदान किया।

गांधी जी के प्रारंभिक जीवन पर पारिवारिक और धार्मिक प्रभाव

महात्मा महात्मा गांधी एक समृद्ध और राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से थे। उनके दादा, पिता और बड़े भाई पोरबंदर रियासत के दीवान रह चुके थे। उनके पिता करमचंद महात्मा गांधी साहसी, सत्यप्रिय, उदार और निष्पक्ष थे- इन्हीं गुणों ने महात्मा गांधी जी को गहराई से प्रभावित किया। वर्ष 1883 में जब उन्होंने अपने घायल पिता की सेवा की, तभी उनके भीतर अहिंसा की भावना का बीजारोपण हुआ।

गांधी जी की धार्मिक सोच उनकी माता पुतलीबाई से प्रभावित थी, जो अत्यंत धर्मपरायण थीं। वे प्रतिदिन मंदिर जाती थीं और साथ ही राज्य के कार्यों में भी रुचि रखती थीं। उनका विवेक और धार्मिक सहिष्णुता महात्मा गांधी जी के विचारों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा- 'मेरी स्मृति में मेरी माँ की सबसे गहरी छवि उनकी संत-सुलभता की है।' माँ उस संप्रदाय से थीं जो हिंदू और इस्लामी शिक्षाओं को समान आदर देता था, जिससे महात्मा गांधी जी के भीतर सभी धर्मों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता का भाव विकसित हुआ। यही उनके बाद के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध की नींव बना। इस प्रकार महात्मा गांधी जी पर उनके माता-पिता दोनों का गहरा, सकारात्मक और स्थायी प्रभाव पड़ा।

लंदन प्रवासरू महात्मा गांधी जी के वैचारिक विकास की आधारशिला

गांधी जी के लंदन वर्ष उनके बौद्धिक विकास में अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुए। वहीं उन्होंने खुद को प्रतिबद्ध शाकाहारी के रूप में ढाल लिया। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण उन्हें सादगीपूर्ण जीवन अपनाना पड़ा, जिसे वे अपनी आत्मा और बाह्य जीवन के बीच सामंजस्य का स्रोत मानते थे। उन्होंने लिखा कि इस जीवनशैली से उनका जीवन अधिक फलदायी हो गया और उनकी आत्मा असीम आनंद से भर उठी। लंदन में उनका संपर्क मुख्यतः शाकाहारियों, समाज सुधारकों और पादरियों से रहा। पादरियों ने उन्हें धर्म के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान उन्होंने अर्नाल्ड

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

द्वारा अनूदित गीता, अर्नाेल्ड की ही लाइट ऑफ एशिया, तथा पुराना और नया नियम (व्सक ंदक छमू ज्मेजंउमदज) का अध्ययन किया। नया नियम उन्हें विशेष रूप से प्रभावित करता था क्योंकि इसकी शिक्षाएं वैष्णव और जैन परंपराओं से मेल खाती थीं, जिनमें वे घर पर पले-बढ़े थे। उन्होंने गीता और नये नियम की नैतिक शिक्षाओं को समान पाया।

हालांकि लंदन में तीन वर्ष बिताने के बाद भी वे उतने ही संकोची और अल्पभाषी बने रहे। सार्वजनिक बोलने के प्रयास असफल रहे, फिर भी वे प्रयासरत रहे। उन्हें लंदन वेजिटेरियन सोसायटी की कार्यकारिणी समिति में चुना गया, जहाँ वे चुपचाप बैठते रहे और भाषण देने में असमर्थ रहते। यहीं उन्होंने पहली बार पत्रकारिता में लेखन आरंभ किया, जो आगे चलकर उनके आत्म-प्रकाशन का प्रमुख माध्यम बना। वे 'अंजुमन-ए-इस्लामिया' नामक भारतीय छात्रों की संस्था की बैठकों में भी भाग लेते थे। फ्रेडरिक पिनकॉट, जो भारतीय छात्रों के मार्गदर्शक थे, ने उन्हें व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार होने की सलाह दी और उन्हें आशावादी बनने हेतु प्रेरित किया। 12 जून 1891 को वे भारत लौटे, लेकिन पोरबंदर में हुई एक घटना ने उनकी आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाई और वे व्यथित हो उठे। इसी समय उन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक भारतीय व्यापारी की कानूनी लड़ाई में प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव मिला। यही प्रस्ताव उनके जीवन की नियति की ओर पहला कदम सिद्ध हुआ।

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के संघर्ष और आत्मबोध का आरंभ

महात्मा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए। वहाँ का समाज वर्गों में बँटा हुआ और बहुविध था। जब वे 22 वर्ष की आयु में वहाँ पहुँचे, तो यह उनके जीवन के निर्माणकालीन वर्ष थे, जहाँ उन्होंने वह सीख प्राप्त की जिसने आगे चलकर भारत में उनके संघर्ष की आधारशिला रखी। महात्मा गांधी जी एक वकील के रूप में वहाँ गए थे, परंतु भारतीयों की दुर्दशा देखकर वे चकित रह गए। एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें भारतीय पगड़ी पहनने से रोक दिया और उन्हें 'कुली बैरिस्टर' कहकर अपमानित किया। इस प्रकार की घटनाओं ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। भारतियों के विरुद्ध रंगभेद और अन्याय के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की नींव डाली- यह यद्यपि पुराना सिद्धांत था, पर महात्मा गांधी जी ने इसे नया स्वरूप और विचारधारा दी। उन्होंने राजनीति में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर भी बल दिया। पिटरमारिट्सबर्ग स्टेशन की घटना, जहाँ उन्हें प्रथम श्रेणी डिब्बे से जबरन उतारा गया, और अदालत में पगड़ी प्रकरण ने उनके संकल्प को मजबूत किया कि वे भारतियों के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने स्वयं लिखा- ''क्या मैं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करूँ या अपमान सहकर भारत लौट जाऊँ? भारत लौट जाना कायरता होती। जिस अन्याय का मैं शिकार बना वह केवल ऊपरी स्तर पर था, असल में यह रंगभेद की गहरी बीमारी का लक्षण था।"

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा उन्होंने इन शब्दों में वर्णित की- "सड़क पर आदमी भारतीयों से घृणा करता है, उन पर थूकता है... ट्राम कारें उनके लिए नहीं हैं... रेलवे कर्मचारी उन्हें जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं... होटल उनके लिए बंद हैं।"

यही वे अनुभव थे जिन्होंने महात्मा गांधी को केवल एक पेशेवर नहीं, बल्कि भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला एक नैतिक योद्धा बना दिया। उन्होंने अनुबंधित श्रमिकों और दबे-कुचले

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

भारतीयों के हक में आवाज उठाई और शीघ्र ही एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित हो गए। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा उनके लिए एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी- जिसमें उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को अपना धर्म और संकल्प बना लिया।

नटाल में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई और महात्मा गांधी का नेतृत्व

सन् 1893 में नटाल में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई। इस समय तक नटाल में अनुबंधित भारतीयों के आगमन को 33 वर्ष बीत चुके थे। वहाँ के श्वेत निवासियों का भारतीय प्रश्न को लेकर चार बिंदुओं पर सर्वसम्मति थीरू (1) अनुबंध समाप्ति के बाद कोई भी भारतीय वहीं न रुकेय (2) भारतीयों को मताधिकार न मिलेय (3) स्वतंत्र भारतीयों का आव्रजन रोका जाएय और (4) उन्हें व्यापार के लिए लाइसेंस न दिया जाए। ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश पर नियंत्रण कमजोर पड़ने के कारण इन नीतियों के लागू होने की पूरी आशंका थी। नटाल प्रतिनिधिमंडल ने 1894 में कोलकाता आकर अनुबंधों की समाप्ति की सिफारिश की। यद्यपि यह प्रयास असफल रहा, लेकिन वे भारत सरकार से यह स्वीकृति ले आए कि जो अनुबंधित भारतीय अपने अनुबंध की समाप्ति के बाद वापस न लौटें, उन पर सालाना तीन पाउंड का कर लगाया जाए। यह कर अत्यंत गरीब भारतीय परिवारों के लिए बोझ बन गया-जिसकी वार्षिक आय केवल 12-16 पाउंड होती थी।

इस समय महात्मा गांधी जी डरबन में थे और उन्हें भी श्वेतों द्वारा अपमानित किया गया। उन्होंने 'नटाल एडवर्टाइजर' को पत्र लिखकर एक संपादकीय का विरोध किया जिसमें भारतीय व्यापारियों को असभ्य और उपनिवेश के लिए अवांछनीय बताया गया था। दस दिन बाद उन्होंने भारतीयों के मताधिकार पर फिर से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय मत देने योग्य सभ्य नागरिक हैं। 28 जून 1893 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नटाल के भारतीयों ने एक याचिका दायर की जिसमें पंचायती परंपरा का उल्लेख करते हुए मताधिकार की मांग की गई। उन्होंने नटाल के प्रधानमंत्री और फिर गवर्नर, विधान परिषद तथा लॉर्ड रिपन को भी लगभग 10,000 भारतीयों के हस्ताक्षरों के साथ याचिकाएं भेजीं। उन्होंने ब्रिटिश संसद सदस्य दादाभाई नौरोजी को पत्र लिखकर समर्थन भी प्राप्त किया।

गांधी जी ने 22 अगस्त 1894 को नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके सचिव बने। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की रक्षा हेतु स्थापित पहला राजनीतिक संगठन था। इसके उद्देश्यों में भारतीयों का नैतिक उत्थान, सामाजिक-सांस्कृतिक जागरूकता, श्वेतों से अच्छे संबंध स्थापित करना और भारत में जनमत तैयार करना शामिल था। कांग्रेस के 228 सदस्यों में अधिकांश व्यापारी वर्ग से थे। महात्मा गांधी जी की संगठक क्षमता, ईमानदारी और वित्तीय पारदर्शिता की सभी प्रशंसा करते थे। वे हर पैसे का हिसाब रखते और अत्यंत सावधानी से व्यय करते थे। 5 जून 1896 को महात्मा गांधी भारत लौटे- नटाल इंडियन कांग्रेस के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में। उन्होंने इलाहाबाद में 'पायनियर' अखबार के संपादक से भेंट की और दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति पर कवरेज के लिए उन्हें राजी किया। उन्होंने कई सभाएं कीं, लेख लिखे और एक पुस्तिका प्रकाशित की- श्ज्ीम ळतपमअंदबमे व िजीम ठतपजपेी प्दकपंदे पद ैवनजी ।तिपबंश् (ग्रीन पैम्फलेट)। इसमें उन्होंने

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

भारतीयों की दुर्दशा, तीन पाउंड कर, जुलूलैंड में संपत्ति प्रतिबंध, 'रामी सामी' और 'मिस्टर कूली' जैसे अपमानजनक संबोधनों का उल्लेख किया। 'पायनियर' ने संपादकीय लिखा और 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने सार्वजनिक जांच की मांग की।

'ग्रीन पैम्फलेट' का प्रभाव, भारत यात्रा और डरबन वापसी पर हुआ विरोध

गांधी जी द्वारा प्रकाशित ग्रीन पैम्फलेट के बाद उन्होंने एक स्वतंत्र और तथ्यात्मक 'नोट' भी तैयार किया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के प्रत्येक राज्य में भारतीयों की स्थिति का स्पष्ट विवरण दिया गया था। भारत में जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने लेखन के साथ-साथ मंचीय उपस्थिति के माध्यम से जागरूकता फैलाई।

बॉम्बे में उन्होंने बदरुद्दीन तैयबजी, महादेव गोविंद रानाडे और फिरोजशाह मेहता से भेंट की। मेहता ने सार्वजनिक बैठक आयोजित करवाई, जिसमें महात्मा गांधी जी स्वयं बोलने में संकोच के कारण भाषण नहीं दे सके, परंतु उनका लिखा हुआ भाषण पढ़ा गया जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अपमान, अन्याय और उनके अधिकारों के हनन की स्थिति को उजागर किया। इसके बाद पुणे में उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट की और मद्रास में एक सफल जनसभा आयोजित की। वहां ग्रीन पैम्फलेट की पुनर्मुद्रण की माँग हुई और लोगों में इसे बाँटा गया। कोलकाता में उन्होंने 'स्टेट्समैन' और 'द इंग्लिशमैन' जैसे अखबारों के संपादकों से संपर्क कर व्यापक समर्थन प्राप्त किया।

गांधी जी 18 दिसंबर 1896 को 'कोर्टलैंड' नामक जहाज से डरबन पहुँचे। उनके साथ ही 'नदरी' नामक एक और जहाज भी पहुँचा जिसमें 400 भारतीय सवार थे। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्लेग के बहाने दोनों जहाजों को बंदरगाह से दूर रोका गया, जबकि प्रमाणपत्र में उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया था। यह विरोध दरअसल भारतीयों के आगमन के विरुद्ध उग्र जनभावना के कारण था। श्वेत लोग महात्मा गांधी से विशेष रूप से नाराज थे क्योंकि उन्होंने भारत में उनके अन्यायपूर्ण आचरण को उजागर किया था।

डरबन में महात्मा गांधी जी के आगमन के विरोध में एक बड़ी जनसभा आयोजित की गई जिसमें प्रस्ताव पास कर सरकार से भारतीयों को वापस भेजने की माँग की गई। जब सरकार ने असमर्थता जताई, तो एक और सभा में घोषणा की गई कि जनता स्वयं बंदरगाह जाकर विरोध करेगी। 13 जनवरी 1897 को जब महात्मा गांधी जी ने डरबन में कदम रखा, तो एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और हमला किया। पुलिस प्रमुख की पत्नी के हस्तक्षेप से उनकी जान बची। ब्रिटिश सरकार के दबाव पर जब नटाल सरकार से अपराधियों पर मुकदमा चलाने को कहा गया, तो महात्मा गांधी जी ने माफ कर दिया और कहा कि यह विरोध लोगों की गलतफहमी के कारण हुआ।

इसी दौरान नटाल सरकार ने एक्ट 14 ऑफ 1897 पारित किया, जिसमें भारतीयों की स्वतंत्र प्रविष्टि पर नियंत्रण लगाने के लिए संपत्ति और यूरोपीय भाषा की योग्यता अनिवार्य कर दी गई। यह कानून नस्लभेदी न होने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, लेकिन इसका क्रियान्वयन ऐसा था कि केवल यूरोपीय योग्य माने जाते और भारतीय नहीं।

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

अनुबंधित श्रमिकों के संघर्ष और महात्मा गांधी जी की भूमिका

दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में भारतीयों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा था, उसमें सबसे अधिक शोषण का शिकार अनुबंधित भारतीय श्रमिक हो रहे थे। इन श्रमिकों को खेती, खनन और रेलवे कार्यों में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए लाया गया था। उनके अधिकारों की रक्षा के नाम पर किए गए कानून, जैसे नटाल एक्ट 18 ऑफ 1897, वास्तव में श्वेत वर्चस्व को बनाए रखने का माध्यम बन गए। यह अधिनियम व्यापार के लाइसेंस को नगरपालिकाओं के लाइसेंसिंग अधिकारियों की मनमानी पर निर्भर कर देता था, जिनमें से अधिकतर अधिकारी भारतीयों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। जबकि भारत सरकार का ध्यान अधिकतर अनुबंधित श्रमिकों पर केंद्रित था, स्वतंत्र भारतीय व्यापारियों को इस अधिनियम के माध्यम से अलग कर दिया गया।

गांधी जी ने इन अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध में 2 जुलाई 1897 को ब्रिटिश सरकार के सचिव चेम्बरलेन को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कानून केवल एशियाई लोगों को लक्षित करते हैं, यूरोपीयों को नहीं। महात्मा गांधी ने यह भी इंगित किया कि जिन भारतीयों को सरकार अनुबंधमुक्त कहकर सुरक्षा देने का दावा करती थी, उन्हें ही पुलिस द्वारा बिना दंड के गिरफ्तारी का शिकार बनाया जा रहा था। गांधी ने आगे 31 दिसंबर 1898 को एक मजबूत शब्दों में याचिका भेजी, जिस पर अधिकांश मुस्लिम भारतीयों ने हस्ताक्षर किए। इसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार को याद दिलाया कि भारतीय श्रमिक और सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए नए उपनिवेश स्थापित करने में सहयोग कर रहे हैं, और यह अन्यायपूर्ण होगा कि उन्हीं लोगों को जीविका के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने विशेष रूप से सोमनाथ महाराज का उदाहरण दिया जिसे लाइसेंस से वंचित कर दिया गया था, जबकि नटाल सुप्रीम कोर्ट ने नगर परिषद के निर्णय को अपमानजनक कहा।

गांधी जी का श्रमिक वर्ग के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण केवल याचिकाओं तक सीमित नहीं रहा। अंग्लो-बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने एम्बुलेंस कोर की स्थापना की जिसमें 800 स्वतंत्र भारतीयों के साथ-साथ 300 अनुबंधित श्रमिकों को शामिल किया गया। इन श्रमिकों ने युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों को जोखिम उठाकर पहुँचाया। जनरल सर विलियम ओल्फट्र्स और सर जॉन रॉबिन्सन जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने महात्मा गांधी जी और उनके संगठन की प्रशंसा की। इस सेवा के माध्यम से महात्मा गांधी जी को अनुबंधित श्रमिकों के जीवन की गहराई से समझ प्राप्त हुई। इन श्रमिकों का उत्साहपूर्वक इस अभियान में शामिल होना महात्मा गांधी के नेतृत्व की प्रभावशीलता को दर्शाता है। लेकिन दुखद यह रहा कि ब्रिटिश सरकार की मानसिकता में कोई ठोस परिवर्तन नहीं आया। युद्ध में योगदान देने के बावजूद भारतीयों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।

गांधी ने आत्मकथा में लिखा कि अंग्लो-बोअर युद्ध के बाद उन्हें लगने लगा कि अब उनका वास्तविक कार्यक्षेत्र भारत है, न कि दक्षिण अफ्रीका। उनके मित्रों और परिवार ने भी उन्हें लौटने का आग्रह किया। उनके बच्चों की शिक्षा को भी नुकसान हो रहा था। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने 20 अक्टूबर 1901 को भारत लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने यह वादा किया कि जब भी दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता को उनकी आवश्यकता होगी, वे पुनः लौटेंगे।

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय श्रमिकों पर नया कानून और 'इंडियन ओपिनियन' की शुरुआत

1902 में महात्मा गांधी को डरबन से यह खबर मिली कि भारतीय इमिग्रेशन एक्ट में संशोधन प्रस्तावित है, जिसके अनुसार अनुबंधित भारतीय श्रमिकों की संतानें यदि वयस्क होने पर भारत नहीं लौटेंगी, तो उन्हें या तो नया अनुबंध करना होगा या ₹3 पाउंड सालाना लाइसेंस लेकर रहना होगा। महात्मा गांधी ने गोपाळकृष्ण गोखले और प्रेस की मदद से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन से सहयोग मांगा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से भारत सचिव को ज्ञापन भिजवाया। उसी समय उन्हें दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का बुलावा मिला और यह भी पता चला कि जोसेफ चेम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका आ रहे हैं। महात्मा गांधी नवंबर 1902 के तीसरे सप्ताह में नटाल लौटे। 28 दिसंबर 1902 को उन्होंने 16 लोगों के साथ चेम्बरलेन से मुलाकात की, लेकिन जवाब मिला कि उपनिवेश की सरकार जिम्मेदार है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता।

इसके बाद महात्मा गांधी फरवरी 1903 में जोहान्सबर्ग चले गए और वहीं से उन्होंने 'इंडियन ओपिनियन' नामक अखबार को शुरू किया। यह अखबार भारतीयों की आवाज बना। महात्मा गांधी ने लिखा कि वे इसका संपादक नहीं थे, पर पूरा कार्यभार उन्हीं पर था। उन्होंने लिखा कि 1903 से 1914 तक जेल की अवधि छोड़कर हर अंक में उनका लेख छपता था। उन्होंने माना कि यह अखबार उनके लिए आत्म-नियंत्रण का अभ्यास और जनता से संवाद का माध्यम बना।

गांधी ने स्पष्ट लिखा- ''पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए। यदि कलम का नियंत्रण बाहर से हो तो वह जहर बन जाती है, लेकिन अगर अंदर से हो, तभी वह लाभदायक होती है।"

गांधी द्वारा पत्रकारिता और सत्याग्रह के माध्यम से भारतीयों के अधिकारों की रक्षा

गांधी ने 'इंडियन ओपिनियन' के माध्यम से पत्रकारिता को सेवा का माध्यम माना और इसे अपने समय, श्रम और बचत से चलाया। वे लगातार दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहे। 1906 में नटाल विद्रोह के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों की सहायता हेतु 'स्ट्रेचर बियरर कंपनी' बनाई। विद्रोह के बाद जोहान्सबर्ग लौटने पर उन्हें पता चला कि 'ड्राफ्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस' के तहत सभी एशियाई नागरिकों के पुराने परमिट रद्द कर दिए गए हैं और अब उंगलियों के निशानों वाले नए प्रमाणपत्र अनिवार्य होंगे। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में एक सभा की और लोगों से अपमानजनक कानून का विरोध करने की शपथ दिलाई-यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत हुई।

ट्रांसवाल के भारतीयों ने महात्मा गांधी और एच. ओ. अली को लंदन भेजा। 8 नवंबर 1906 को उन्होंने लॉर्ड मॉर्ले (भारत सचिव), कई सांसदों और अंततः लॉर्ड एल्गिन (दक्षिण अफ्रीका सचिव) से भेंट की। लॉर्ड एल्गिन ने सेलबोर्न को कानून रोके रखने की सिफारिश की और ब्रिटिश सरकार ने ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस को मंजूरी नहीं दी।

परंतु जब ट्रांसवाल में उत्तरदायी सरकार बनी तो उसी रूप में एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट बिल (एक्ट 2, 1907) पारित कर दिया गया। फिर इमिग्रेंट्स रेस्ट्रिक्शन एक्ट (एक्ट 15, 1907) भी बना। महात्मा गांधी और 155 भारतीयों को कानून न मानने पर जेल हुई। जेल में जन स्मट्स ने वैकल्पिक पंजीकरण

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

का प्रस्ताव रखा जिसे महात्मा गांधी ने कुछ संशोधनों के बाद स्वीकार किया, पर कानून रद्द नहीं हुआ। विरोध में 2000 से अधिक प्रमाणपत्र जलाए गए- यही था सत्याग्रह का पहला चरण।

दूसरे चरण में सत्याग्रहियों ने बिना प्रमाणपत्र ट्रांसवाल जाना शुरू किया, लाइसेंस के बिना व्यापार किया। महात्मा गांधी और अन्य आंदोलनकारियों को अक्टूबर 1908 में गिरफ्तार किया गया। वे दिसंबर 1908 में रिहा हुए पर फरवरी 1909 में फिर से जेल भेजे गए। फरवरी 1911 में सरकार ने घोषणा की कि अब भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध शिक्षा के आधार पर होगा, नस्ल के नहीं। जन स्मट्स ने वादा किया कि ब्लैक एक्ट हटाया जाएगा, जिस पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया।

1913-14 में दक्षिण अफ्रीका में अंतिम श्रमिक सत्याग्रह और महात्मा गांधी की विजय

अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने छह सप्ताह के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। उन्होंने जनरल जन स्मट्स से बातचीत के बाद महात्मा गांधी को आश्वस्त किया कि ब्लैक एक्ट रद्द कर दिया जाएगा और ख3 कर हटा दिया जाएगा। लेकिन स्मट्स ने अपना वादा नहीं निभाया। इसके बाद 14 मार्च 1913 को केप सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि केवल ईसाई पद्धति से संपन्न और दक्षिण अफ्रीका में पंजीकृत विवाह ही वैध हैं। इसका अर्थ था कि भारतीय पुरुषों की पत्नियाँ वैध नहीं हैं और उन्हें दासी के रूप में माना गया। इससे भारतीय महिलाएं भी सत्याग्रह में शामिल हो गईं। महात्मा गांधी ने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया। टॉलस्टॉय फार्म की महिलाएं नटाल में प्रवेश कर न्यूकैसल की कोयला खदानों में भारतीय मजदूरों को हड़ताल के लिए प्रेरित करेंगी। फीनिक्स की महिलाएं ट्रांसवाल में प्रवेश करेंगी। फीनिक्स की महिलाएं गिरफ्तार हो गईं लेकिन टॉलस्टॉय की महिलाएं न्यूकैसल पहुँचीं और वहाँ अनुबंधित मजदूरों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हड़ताल शुरू की। बाद में टॉलस्टॉय की महिलाएं भी गिरफ्तार हो गईं। 10 नवम्बर 1913 को महात्मा गांधी भी न्यूकैसल पहुँचे और मजदूरों के साथ ट्रांसवाल की ओर कूच किया। सरकार ने उन्हें ट्रेनों में बैठाकर वापस न्यूकैसल भेज दिया और खदानों में कैदियों की तरह रखा गया। वहाँ उन्हें कोड़े मारे गए, अत्याचार हुए, और कुछ मजदूरों की गोली लगने से मौत भी हुई।

जब यह खबर फैली, तो पूरे नटाल में लगभग 50,000 श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। भारत के वायसराय और प्रेस ने इस बर्बरता की निंदा की। जन स्मट्स को जांच आयोग बनाना पड़ा, पर उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और 1 जनवरी 1914 को डरबन की ओर नया मार्च घोषित किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि रेलवे के गोरे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो उन्होंने अपनी सत्याग्रह नैतिकता के तहत मार्च स्थगित कर दिया। इस सद्भावना से बातचीत का मार्ग खुला और कई बैठकों के बाद प्दकपंदेष्त्मसपमि।बज पारित हुआ। इसके अंतर्गतः ख3 टैक्स रद्द किया गया, भारतीय विवाह विधियों को मान्यता मिली, और कानूनों के न्यायपूर्ण क्रियान्वयन का आश्वासन दिया गया। 14 जुलाई 1914 को महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हुए। विदाई भाषण में उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी भी यूरोपीय के प्रति कोई द्वेष नहीं लेकर जा रहा हूँ।’’ यह सत्याग्रह की पहली

THE STANFORD JOURNAL
AN INTERNATIONAL JOURNAL
THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

सामूहिक सफलता थी, जिसमें महात्मा गांधी ने अनुबंधित भारतीय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण लेकिन मजबूत संघर्ष किया और नस्लीय अन्याय को सीधी चुनौती दी।

दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के अनुभव और भारतीय श्रमिक आंदोलन की ओर वापसी

दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए वर्षों ने महात्मा गांधी को राजनीतिक संघर्ष की एक नई शैली प्रदान की। उनके आर्थिक और सामाजिक मूल्य गहराई से बदल गए। 1904 में फीनिक्स फार्म (डरबन) और 1910 में टॉलस्टॉय फार्म (जोहान्सबर्ग) का निर्माण उनके नए दर्शन का प्रतीक था। वहीं उन्होंने 1903 में 'इंडियन ओपिनियन' साप्ताहिक की शुरुआत की और एक पत्रकार के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। दक्षिण अफ्रीका में ही वे सत्याग्रह के प्रचारक बने। उन्होंने कहा था कि ''सत्य और अहिंसा उतने ही पुराने हैं जितनी पहाड़ियाँ'', लेकिन उन्होंने इन्हें एक नई गहराई और अर्थ दिया।

1907 से 1913 के बीच ट्रांसवाल सिविल राइट्स कैंपेन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को पहली बार राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से लागू किया। यह आंदोलन संगठित नस्लीय भेदभाव के खिलाफ था और यहीं से सत्याग्रह एक आध्यात्मिक हथियार बनकर उभरा जिसने आगे चलकर भारत में स्वराज की नींव रखी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को संगठन, साहस और आत्मबल का अनुभव कराया। उन्होंने अनुबंधित श्रमिकों के लिए संघर्ष करते हुए उनके मनोविज्ञान को समझा और एक ऐसी रणनीति विकसित की जो आगे चलकर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुई।

हालांकि, महात्मा गांधी ने यह भी महसूस किया कि एक विदेशी जमीन पर भारतीयों की सीमित शक्ति एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था से टकराने के लिए अपर्याप्त थी। उन्होंने समझ लिया कि लड़ाई अब भारत में होनी चाहिएकृजहाँ मुद्दे स्पष्ट थे, संख्या बल आंदोलन को बल देता था और जहाँ आंदोलन नीचे से उठकर जनता के बीच पहुँच सकता था। भारत लौटकर महात्मा गांधी ने सभी वर्गों को एकजुट किया और सबसे पहले श्रमिक वर्ग से संपर्क साधा। यहीं से उनके संघर्ष की दिशा स्पष्ट हुई और उन्होंने नई रणनीति और तकनीक अपनाई, जिसका पहला प्रयोग अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन में हुआ।

निष्कर्ष

दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए इक्कीस वर्षों ने महात्मा महात्मा गांधी को न केवल एक संघर्षशील नेता बल्कि एक नैतिक योद्धा के रूप में भी गढ़ा। इस विदेशी भूमि पर उन्होंने जो अपमान, भेदभाव और अन्याय झेले, वे उनके अंतर्मन में एक ऐसी क्रांति को जन्म देने वाले अनुभव बन गए, जिसने उन्हें केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए संघर्ष का प्रतीक बना दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को महज एक राजनीतिक औजार नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार, एक नैतिक संकल्प, और अहिंसा का सशक्त स्वरूप बना दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों को न केवल कानूनी संरक्षण दिलाया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और संगठित चेतना से भी लैस किया। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि संगठित नैतिक शक्ति, किसी भी हथियार या सत्ता से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। महात्मा महात्मा गांधी ने अनुभव किया कि मजदूर चेतना केवल वेतन और शारीरिक श्रम की सीमा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे

THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

नैतिक दायित्व, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के बड़े संदर्भों से जोड़ा जाना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने श्रमिक वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मा बना दिया। यह शोध यह भी दर्शाता है कि दक्षिण अफ्रीका में किए गए प्रयोगों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को नैतिकता, संगठित संघर्ष और जनसाधारण की भागीदारी से परिपूर्ण किया। महात्मा गांधी ने यह साबित किया कि एक विदेशी भूमि पर व्याप्त अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया यह संघर्ष भारत में स्वराज की जमीन तैयार करने वाला पहला बीज था। दक्षिण अफ्रीका में जन्मा सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की आत्मा बन गया और एक नई क्रांतिकारी श्रमिक चेतना का प्रवाह आरंभ हुआ, जिसने भारत की आजादी की राह को नैतिकता, अहिंसा और जन-शक्ति से प्रकाशित किया।

सन्दर्भ सूची

- उप्पल, जे॰एन॰, गाँधी ओरडेन्ड इन साउथ अफ्रीका, नई दिल्ली, 1995, पृ॰ 387-389
- हटनबेक, रोबर्ट ए, गाँधी इन साउथ अफ्रीका, यू.एस.ए, 1971, पृ॰ 304-318
- कृपलानी, जे॰बी॰, गाँधी: हिज लाइफ एण्ड थोट, नई दिल्ली, 1970, पृ॰ 48
- गाँधी एम॰के॰, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, पृ॰ 220-225
- हटनबेक, रोबर्ट ए, गाँधी इन साउथ अफ्रीका, यू.एस.ए, 1971, पृ॰ 126
- कोपले एनटोनी, गाँधी अगेन्सट द टाइड, ओक्सफोर्ड, 1987, पृ॰ 23उप्पल, जे॰एन॰, गाँधी ओरडेन्ड इन साउथ अफ्रीका, नई दिल्ली, 1995, पृ॰ 170-178
- गाँधी मेड ए स्पीच टू ब्रिटीश जरनलस, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-3, पृ॰ 160
- पेटीशन टू चेम्बरलीन, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-3, पृ॰ 27
- पेटीशन टू चेम्बरलीन, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, पृ॰ 327-328
- उपरोक्त वही, 131-138
- उप्पल, जे॰एन॰, गाँधी ओरडेन्ड इन साउथ अफ्रीका, नई दिल्ली, 1995, पृ॰ 131-138
- मद्रास में घोषित, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-2, पृ॰ 94-121
- नोटस आन द ग्रीवेन्स ऑफ द ब्रिटीश इंडियनस इन साउथ अफ्रीका, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-2, पृ॰ 94-121
- द ग्रीवेन्स ऑफ द ब्रिटीश इंडियन्स इन साउथ अफ्रीका, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-2, पृ॰ 1-52
- गाँधी, एम॰के॰, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, पृ॰ 73-76
- नन्दा, बी॰आर॰, महात्मा गाँधी, दिल्ली, 1958, पृ॰ 44
- गाँधी टू लॉर्ड रिपन, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-1, पृ॰ 117-128
- गाँधी टू नटाल परिमियर एण्ड कोलोनियल सेक्रेटरी, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-1, पृ॰ 97-98
- गाँधी टू नटाल एडवरटाइजर, 1893, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-1, पृ॰ 75-76
- द ग्रीवेंस ऑफ द ब्रिटीश इंडियनस इन साउथ अफ्रीका, द ग्रीन पेमपलेट, 1896, कलेक्टेड वर्कस ऑफ महात्मा गाँधी, वाल्यूम-2, पृ॰ 4

THE STANFORD JOURNAL ISSN: 3048-8923
(AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH)
Volume–2, Issues– 2 April-June: 2025

- कृपलापी, जे॰बी॰, गाँधी: हिज लाइफ ंएण्ड थोट, नई दिल्ली, 1970, पृ॰ 7-8
- गाँधी, एम॰के॰, एन ओटोबायोग्राफी, भाग-1, पृ॰ 112
- मानी, पी, द सीक्रेट ऑफ महात्मा गाँधी: द हारमोनिया काउंटर पॉइंट, नई दिल्ली, 1986, पृ॰ 33
- हटनबेक, रोबर्ट ए, गाँधी इन साउथ अफ्रीका, यू.एस.ए, 1971, पृ॰ 46
- उप्पल, जे॰एन॰, गाँधी ओरडेन्ड इन साउथ अफ्रीका, नई दिल्ली, 1995, पृ॰ 16
- कोपले एनटोनी, गाँधी अगेन्सट द टाइड, ओक्सफोर्ड, 1987, पृ॰ 7
- मानी, पी, द सीक्रेट ऑफ महात्मा गाँधी: द हारमोनिया काउंटर पॉइंट, नई दिल्ली, 1986, पृ॰ 26
- उप्पल, जे॰एन॰, गाँधी ओरडेन्ड इन साउथ अफ्रीका, नई दिल्ली, 1995, पृ॰ 4
- चक्रवर्ती, दीपेश, रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री: बंगाल 1890-1940, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन, 1989, पृष्ठ 1-44
- पारेल, एंथनी जे, गाँधीज फिलॉसफी एंड द क्वेस्ट फॉर हार्मनी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, 2006, पृष्ठ 101-127
- हार्डिमन, डेविड, गाँधी इन हिज टाइम एंड ऑवर्स: द ग्लोबल लेगेसी ऑफ हिज आइडियाज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यॉर्क, 2003, पृष्ठ 45-69
- इरशिक, यूजीन एफ, पॉलिटिक्स एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन साउथ इंडिया: द नॉन-ब्राह्मण मूवमेंट एंड तमिल सेपरेटिज्म, 1916-1929, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले, 1969, पृष्ठ 134-151
- चटर्जी, पार्थ, दि पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्न्ड, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यॉर्क, 2004, पृष्ठ 83-112
- नंदा, बी. आर, गाँधी: अ पिक्टोरियल बायोग्राफी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ 35-56
- नंदा, बी. आर, गाँधी: अ पिक्टोरियल बायोग्राफी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2002, पृष्ठ 35-56
- गाँधी, एम॰के॰, एन ओटोबायोग्राफी - द स्टारी ऑफ माइ एकसपेरीमेंटस विद टरूथ, लंदन, 1966, भाग-1, पृ॰ 3
- त्रिवेदी, लीसा, क्लोदिंग गाँधीज नेशन: होमस्पन एंड मॉडर्न इंडिया, इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, ब्लूमिंग्टन, 2007, पृष्ठ 79-106
- चक्रवर्ती, दीपेश, रीथिंकिंग वर्किंग क्लास हिस्ट्री: बंगाल 1890-1940, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन, 1989, पृष्ठ 1-44